

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**आदेश**

आ०सं०-६ / एन०-०८-१११ / २०२२-

/ पटना, दिनांक-

विभागीय आदेश ज्ञापांक-1037(6), दिनांक-04.07.2023 द्वारा हिमालया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चिक्सी, पालीगंज, पटना-801110 को 60 सीटों पर नामांकन के साथ पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई थी।

पुनः संस्थान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-1129(6), दिनांक-19.07.2023 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के निरीक्षणोपरान्त अध्यक्ष डा० नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के द्वारा पत्रांक-194 / अ०नि०को०, दिनांक-०८.०८.२०२३ के माध्यम से समर्पित संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त हिमालया एजुकेशनल ट्रस्ट, दुसाधी पकड़ी, लोहियानगर, कंकडबाग, पटना द्वारा संचालित हिमालया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चिक्सी, पालीगंज, पटना-801110 में पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालन हेतु 60 (साठ) सीटों से बढ़ाकर 100 (एक सौ) सीटों पर नामांकन क्षमता के साथ नर्सेंज ट्रेनिंग रिकोग्निशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-४(iii) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ मान्यता प्रदान किया जाता है:-

- (क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
- (ख) नर्सेंज ट्रेनिंग रिकोग्निशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त कर लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(शैलेश कुमार)  
उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : ६ / एन०-०८-१११ / २०२२ । १३९(६)

पटना दिनांक । १२०१।२०२४

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आपत सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आपत सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, ८वां तल्ल, एन०बी०सी०सी० सेंटर, प्लॉट नं-२, कम्पनीटी सेंटर, ओखला फेज-०१, नई दिल्ली-११००२० / निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:-परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:-विशेष कार्य पदाधिकारी, बी०सी०इ०सी०ई०बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-८००००१ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष, हिमालया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चिक्सी, पालीगंज, पटना-८०१११० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।